

25-04-24 पञ्जाबली पेठा हुडा
वकील यात्री ठाठा उपखिल
आमे। एलगत 34 पहा
के मूल वाद सं: 55/2016
का निर्णय आज खारिज
के रूप में हुका है।
इसलिए 34 पहा
आगे चलने योग्य नहीं
है। अतः एलगत 34 पहा
खारिज किया जाता है।
मिसल उर्ज ठक्कर से कम
होकर मूल वाद संख्या
55/2016 उजवानी राम निवास
आदिप/5 खुडा राम आदि
के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

